



बिहार सरकार

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC- 635

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्री सौरभ कुमार,
पिता-श्री हिमांशु शेखर भासकरम,
कुसुम कुंज, बुद्धा कॉलोनी,
अदलबारी, हाजीपुर,
जिला-वैशाली, पिन-8441003

पटना 14, दिनांक- 19/07/2021

विषय- श्री सौरभ कुमार द्वारा वैशाली जिलान्तर्गत सैदपुर रजौली मौजा के खाता संख्या-272, 145, खेसरा संख्या-509, 510, 511, थाना-सदर (हाजीपुर) में SH-49 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.010725 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/46309/2020/4298, दिनांक 14.10.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 990, दिनांक 02.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/46309/2020/4298, दिनांक 14.10.2020 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर कुल 13 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है। तदालोक में इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद एवं NPV मद की राशि जमा करने तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या-2 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 304/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 7,52,635/- (सात लाख बावन हजार छः सौ पैतीस रूपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 304 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।


3. अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल— 0.010725 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 6,714/- (छः हजार सात सौ चौदह रुपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रू. 7,52,635.00 (+) रू. 6,714.00 अर्थात कुल रू. 7,59,349.00 (सात लाख उनसठ हजार तीन सौ उनचालीस रुपये) मात्र को विभागीय वेवसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 13 तक अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,



(नन्द कुमार माझी)

उप वन संरक्षक।

दिनांक 19/07/2021

ज्ञापांक FC- 635

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 304/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेन्सी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।



(नन्द कुमार माझी)

उप वन संरक्षक।

दिनांक 19/07/2021

ज्ञापांक FC- 635

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नन्द कुमार माझी)

उप वन संरक्षक।